भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 362*

(19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

तमिलनाडु में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थी

***362. श्री सेल्वम जी.:**

श्री सी. एन. अन्नादुरई:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), महिलाओं और अन्य वंचित समूहों के लाभार्थियों की संख्या कितनी है और वर्तमान में कितने परिवारों को आवास अवंटित किए गए हैं और कितने परिवार प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि तमिलनाडु में इन कमजोर समूहों की पहचान की जाए और इन्हें इसके अंतर्गत आवंटन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाए;

(ग) तमिलनाडु में प्रधानमंत्री आवास योजना-जी के लिए जिला स्तर पर पहुंच सहित स्थापित शिकायत निवारण तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(घ) तमिलनाडु में पीएमएवाई-जी आवासों के चयन और आवंटन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर आकांक्षी और आपदा-प्रवण जिलों में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवासों का निर्माण कार्य समय पर पूरा करने और उनकी सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

******

तमिलनाडु में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थी के संबंध में लोक सभा में दिनांक 19.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 362 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के आवासों के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत , प्रारंभिक लक्ष्य वित्त वर्ष 2016-17 से 2023-24 के दौरान 2.95 करोड़ आवासों के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करना था। भारत सरकार ने 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। दिनांक 13.08.2025 तक की स्थिति के अनुसार , 4.95 करोड़ आवासों के संचयी लक्ष्य में से, मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 4.12 करोड़ आवास आवंटित किए जा चुके हैं, जिनमें से 3.85 करोड़ आवास स्वीकृत किए गए हैं और 2.83 करोड़ आवास पूरे हो चुके हैं। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य को आवंटित 9,57,825 आवासों के लक्ष्य की तुलना में 7,42,700 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 6,48,048 आवास पूरे हो चुके हैं।

तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जातियों (एससी) , अनुसूचित जनजातियों (एसटी) , महिलाओं और अन्य वंचित समूहों के लिए पीएमएवाई-जी के अंतर्गत स्वीकृत और पूर्ण किए गए आवासों की संख्या **अनुबंध–I** में दी गई है। दिनांक 13.08.2025 तक की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में आवास+ 2018 सूची में संतृप्त किए जाने के लिए शेष लाभार्थियों की संख्या 50,815 है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आवंटित लक्ष्यों की तुलना में बड़ी संख्या में आवासों को स्वीकृति नहीं मिलने के कारण , मंत्रालय वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य को ये लक्ष्य आवंटित नहीं कर सका।

(ख) पीएमएवाई-जी के अंतर्गत , राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्य का न्यूनतम 60% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए निर्धारित है। इसे बरकरार रखने के लिए , प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में पात्र पीएमएवाई-जी लाभार्थियों की उपलब्धता के अधीन आवंटित लक्ष्य का 60% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित किया गया है। निर्धारित लक्ष्यों के अंतर्गत , अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का अनुपात समय-समय पर संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तय किया जाता है।

यह निर्धारण केवल उस न्यूनतम सीमा को परिभाषित करेगा जिसे प्राप्त किया जाना चाहिए और यदि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र चाहें तो वे संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए इन श्रेणियों के अंतर्गत लक्ष्य में वृद्धि कर सकते हैं। यह श्रेणीवार संतृप्ति दृष्टिकोण के अनुरूप होगा , जिसके तहत कमजोर और वंचित समूहों के लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाना आवश्यक है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम , 2016 दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान करता है। तदनुसार पीएमएवाई-जी योजना में जब लाभार्थियों के बीच प्राथमिकता तय की जाती है , तो उन परिवारों को अतिरिक्त अभाव/ वंचना अंक दिए जाते हैं जिनमें कोई भी

सक्षम वयस्क सदस्य नहीं है और परिवार में कोई दिव्यांग व्यक्ति है , ताकि उन्हें आवास आवंटन में प्राथमिकता मिल सके। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम , 2016 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए , राज्यों को यथासंभव यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य स्तर पर 5% लाभार्थी ऐसे हों जो मानक दिव्यांगता की श्रेणी में आते हों , तथा इनमें से मानक दिव्यांगता वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए।

महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए, आवास का आवंटन महिला के नाम पर या पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर किया जाएगा , सिवाय उन मामलों के जहाँ लाभार्थी विधुर, अविवाहित, अलग रह रहा व्यक्ति या ट्रांसजेंडर हों।

(ग) पीएमएवाई-जी के दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि पीएमएवाई-जी के अंतर्गत ग्राम पंचायत , ब्लॉक, **जिला** और राज्य जैसे प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाए। ग्रामीण विकास मंत्रालय को सीपीग्राम्स या अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों को निवारण हेतु संबंधित राज्य सरकार को भेजा जाता है क्योंकि जमीनी स्तर पर राज्य सरकार ही पीएमएवाई-जी की कार्यान्वयन एजेंसी है। प्रत्येक स्तर पर नियुक्त अधिकारी शिकायतों के निवारण के लिए आवश्यक कार्रवाई करते हैं और मंत्रालय से शिकायत प्राप्त होने के एक महीने के भीतर शिकायतकर्ता को सूचित करते हुए की गई कार्रवाई रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत करते हैं।

इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पीएमएवाई-जी के अंतर्गत शिकायतों और रिपोर्ट की गई अनियमितताओं की घटनाओं के निपटारे के लिए मनरेगा के तहत लोकपाल की सेवाओं का उपयोग करते हैं ताकि शिकायतों का शीघ्र निवारण किया जा सके और ग्रामीण गरीबों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। अब तक , तमिलनाडु राज्य से सीपीग्राम्स पर कुल 720 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 711 का निपटारा किया जा चुका है।

(घ) पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के तहत निर्धारित आवास अभाव मापदंडों और बहिष्करण मानदंडों पर आधारित है। इन मानदंडों को एसईसीसी 2011 के डेटाबेस पर लागू किया गया और डेटाबेस से परिवारों की एक प्रणाली-जनित प्राथमिकता सूची पर ग्राम सभा की बैठकों में विचार-विमर्श किया गया। ग्राम सभाओं द्वारा उचित सत्यापन और अपीलीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद, ग्राम पंचायतवार स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) तैयार की गई। इसके बाद, जनवरी 2018 से मार्च 2019 के दौरान आवास+ सर्वेक्षण किया गया ताकि उन लाभार्थियों की पहचान की जा सके, जो पीडब्ल्यूएल में शामिल होने के पात्र हैं, लेकिन एसईसीसी 2011 से बाहर होने का दावा करते हैं। इस अभ्यास में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अतिरिक्त परिवारों का ब्यौरा अपलोड किया,जो ग्राम सभा सत्यापन और अपीलीय प्रक्रिया के अधीन थे।

इसके अलावा , केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ , 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने हेतु पीएमएवाई-जी को 5 और वर्षों (वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29) के लिए विस्तार दिया गया है और इसी के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों

द्वारा आवास+ 2024 मोबाइल ऐप के माध्यम से ई-केवाईसी फेस आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करते हुए और संशोधित बहिष्करण मापदंडों के साथ अतिरिक्त पात्र परिवारों की पहचान के लिए नया सर्वेक्षण भी किया जा रहा है। सर्वेक्षण करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई प्रारंभिक अवधि 27 दिसंबर 2025 से 31 मार्च 2025 तक थी। यह प्रारंभिक समय-सीमा सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 30 अप्रैल 2025 और उसके बाद 15 मई 2025 तक बढ़ा दी गई थी। तत्पश्चात , जिन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया , उन्हें सर्वेक्षण अभ्यास पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया। तथापि, तमिलनाडु ने राज्य में अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए आज तक सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू नहीं की है।

(ङ) पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवासों का समय पर निर्माण और वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्ष्यों का यथासमय आवंटन।

ii. योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए पीएमएवाई-जी विश्लेषण डैशबोर्ड का शुभारंभ।

iii. नवीनतम आईटी उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके आवासों की स्वीकृति और निर्माण पूरा होने की सूक्ष्म निगरानी।

iv. माननीय मंत्री, सचिव और उप महानिदेशक द्वारा नियमित समीक्षा।

v. उन आवासों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना जिनके लिए निधियों की तीसरी या दूसरी किस्त जारी की जा चुकी है।

vi. उच्च लक्ष्य वाले राज्यों की अलग से समीक्षा।

vii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार निधियां समय पर जारी करना।

viii. पीएमएवाई-जी के भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लक्ष्यों का पाँच प्रतिशत तक विशेष परियोजनाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। इन मानदंडों में से एक यह है कि उन परिवारों का पुनर्वास/पुनर्स्थापन किया जाएगा जिनके घर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मौजूदा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना में वर्गीकृत प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, भूकंप, आग आदि के कारण पूरी तरह/काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

अनुबंध-I

तमिलनाडु में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थी के संबंध में लोक सभा में दिनांक 19.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 362 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जातियों (एससी) , अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और महिलाओं के लिए पीएमएवाई-जी के तहत स्वीकृत और पूर्ण किए गए आवास

अनुसूचित जाति (एससी)		अनुसूचित जनजाति (एसटी)		महिला*	
स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण
3,40,070	2,84,292	25,376	23,264	6,12,535	5,32,976

** या तो केवल महिलाओं के लिए या पत्नी -पति के नाम पर संयुक्त रूप से*

******